U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % Mk- lfer 'kekZ] vkbZ-,-,l

विभागीय अपील संख्या 07/2020

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

जीवनराम, पटवारी, पटवार हल्का दीगांव हाल पटवारी पटवार मण्डल, सियाणा, तहसील व जिला जालोर।

जिला कलेक्टर (भू0अ0), जालोर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरुद्व आदेश क्रमांक प. 1(16) वि0जॉ0/भू0अ0/19/6417– 6423 दिनांक 14.11.2019 जो जिला कलेक्टर जालोर द्वारा सीसीए 17 के अन्तर्गत पारित करते हुए अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितीः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, जालोर, उपस्थित।

fu.kZ;

fnukad% vDVwcj] 2020

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 के विरूद्ध दिनांक 17.04.2020 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय से अपील पर टिप्पणी व मूल रेकर्ड तलब किया गया एवं अपीलान्ट व विभागीय पैरोकार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये।

2. जिस पर अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार उपस्थित हुए। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान मे पटवार मण्डल सियाणा तहसील जालोर में पटवारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी अपने राजकीय सेवा मे राजकीय कार्य ईमानदारी एवं तत्परता से सही समय

पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपने पदीय दायित्वों के अधीन रहकर सम्पादित करता आ रहा है।

3. अपीलार्थी के पूर्व समय में पटवार मण्डल दीगांव में पटवारी पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थी पर जिला कलेक्टर जालोर के कार्यालय के पत्रांक 62 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत ज्ञापन/आरोप पत्र जारी करते हुए यह आरोप आरोपित किया गया किः—

> "आप श्री जीवनराम दिनांक 09.10.2018 तक जिला जालोर की तहसील जालोर के पटवार मण्डल दीगांव के पद पर कार्यरत थे एवं वर्तमान में पटवार मण्डल सियाणा तहसील जालोर में पदस्थापित है। इस दौरान ग्राम पंचायत दीगांव के निवासीगण श्री रुपाराम पुत्र उनामजी, अमराराम पुत्र चोपा, हेमाराम पुत्र दरजाराम चौधरी, फुईयाराम पुत्र मोडा मेणा व पप्पूसिंह पुत्र छैलसिंह राजपूत निवासी देवदा द्वारा उपखण्ड अधिकारी जालोर को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपके विरुद्व हल्के में निवास न करने, राजस्व रेकार्ड की नकले, भूमि प्रमाण पत्रो, बच्चों के जनम, जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्रों व पेन्शन इत्यादि के फार्मो इत्यादि पर समय पर हस्ताक्षर करके उपलब्ध न करवाने, जनता के विरुद्व अभ्रद भाषा का प्रयोग व दुर्व्यहार करने की शिकायत प्रस्तुत की गई। भू0अ0 निरीक्षक आकोली ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त कारणो से शिकायत किये जाने की पुष्टि की है। बयान व जांच रिपोर्ट में अकिंत समस्त आरोप पटवारी के मूल कर्तव्यों के साथ पटवारी पद की गरिमा के विरुद्व है। आप द्वारा राजकीय भूमियों के अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही न कर अतिक्रमण को बढावा देने का कार्य किया गया है। इस प्रकार आपके उक्त तमाम कृत्य राजकार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही व अनुशासनहीनता की तारीफ में आते है। अतः आप अनुशासनिक दण्ड के भागी है।"

4. अपीलार्थी ने उक्त आरोप को अस्वीकार करते हुए उक्त नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 15.01.2019 को जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा यह निवेदन किया था कि तत्कालीन तहसीलदार जालोर द्वारा मुझे स्थानान्तरण के

बावजूद माह जुलाई से दिनांक 12.10.2018 तक न तो पटवार मण्डल सियाणा का चार्ज दिलाया गया व न ही मुझे दीगांव पटवार मण्डल से कार्यमुक्त किया गया। मेरे द्वारा बार–बार इस प्रकार का आग्राह करने पर तहसीलदार मुझसे नाराज हो गये और इसी कारण से आरोपित आरोप में बढा–चढाकर मेरे विरुद्ध कार्यवाही निर्धारित कर दी गई। अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को आरोपित आरोप का बिन्दूवार यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के दीगांव के निवासीगण द्वारा हल्के में निवास नही करने का आरोप सरासर झूठा व बेबुनियाद है क्योकि मेरे दीगांव के कार्यकाल के दौरान मेरे उच्चाधिकारियों द्वारा मेरी विरुद्ध ऐसी सूचनाएं श्रीमान को नहीं दी है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि मेरे द्वारा अपने कार्यकाल में काश्तकारों को मांगने पर नकले समय पर जारी की है। हेमाराम चौधरी को मांगने पर मैने उसे दो बार समय पर नकले दी है। अमराराम चौधरी को भी नकले समय पर दी गई है। प्रतिलिपि रजिस्टर पी–35 की नकल अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए उक्त आरोप अस्वीकार को किया। अपीलान्ट पर जनता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग एवं दुव्यर्वहार सम्बन्धी आरोप मनगढता व झूठा है। मैं एक किसान परिवार से हू। मैने 20 साल तक थलसेना की सेवा बतौर सिपाही की है। सेना के सिपाही को अपने देश की जनता के साथ प्यार भरा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। रूपाराम चौधरी द्वारा काश्तकारो/जनता के साथ अभ्रद व्यवहार व गाली गलौच का लगाया आरोप भी झूठा है भू0अ0 निरीक्षक आकोली द्वारा मेरे विरुद्ध की गई जांच मे न तो मुझे सूचित किया, न मै जांच के दौरान उपस्थित था, न मुझे ब्यान पर क्रॉस का मौका दिया है तथा न ही मेरे बयान लिये गये। उक्त जांच एकतरफा होने व पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से झूठी व बेबुनियादी है जो अस्वीकार करने योग्य है।ऐसी एक शिकायत पूर्व मे भी हुई जिसमें ना0 तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जांच मे को झूठी पाई गई है। अतः उक्त आरोप अस्वीकार है।

6. ग्रामवासी फुईयाराम मेणा व धरमाराम मेघवाल द्वारा मुझ पर यह आरोप लगाना कि मैने अतिक्रमियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। वह झूठी व मनगढत है। मैने अतिक्रमियो के विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत मामले तैयार कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किये है। अतः इस प्रकार का आरोप भी अस्वीकार है।

ग्रामवासी पप्पूसिंह राजपूत द्वारा लगाये गये आरोप कि मैने देवदा से सियाणा जाने वाले रास्ते की पैमाइश नही की है जो आज भी बंद हैं। विवादित रास्ता काश्ताकारों ने बंद नही किया है बल्कि शिफ्ट किया गया है जो आज भी मौके पर चालू है। इसके अतिरिक्त बच्चो के जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र व पेन्शन फॉर्मो पर हस्ताक्षर नही किये जाने के सम्बन्ध में आरोप भी झूठा है क्योंकि बच्चो के जन्म व मूल निवासी प्रमाण पत्रो पर पटवारी की टिप्पणी नही की जाती है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलान्ट के द्वारा संतोषप्रद प्रत्युतर प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त भी आरोपित आरोप को प्रमाणित होना मान कर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2019 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के पास पटवारी दीगांव के अलावा डूडसी व चान्दणा पटवार मण्डल का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ था, मेरा निवास हल्का डूडसी में ही था तथा दीगांव व डूडसी से मात्र 02 किलोमीटर की दूरी पर है ऐसे में मुझ अपीलान्ट के द्वारा तीनो पटवार हल्को का कार्य सम्पादन किया गया। ग्राम दीगांव के कई ग्रामवासियो को यह ज्ञात नहीं था कि पटवारी डूडसी में ही रहता है। अपीलान्ट सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार व बुधवार को मूल हल्के मे रहता था। जिनकी जानकारी हरेक ग्रामीण को दिया जाना सम्भव नही होता। जिससे उन्हे यही भान रहता कि पटवारी मुख्यालय पर नही रहते। ऐसें में अतिरिक्त कार्यभार के हल्को में नही रहने की शिकायत कर दी थी, परन्तु यह बात तहसीलदार महोदय को ज्ञात होने कि उपरान्त भी उन्होने इस बात का पक्ष नही लिया और भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट जो कि अपीलान्ट के प्रति पूर्वाग्रही थी, के आधार पर कार्यवाही तैयार करवा दी। उक्त आरोप की आरोपित अवधि में उपखण्ड जालोर में वर्षा ऋतु होने से यातायात साधन नही होने के कारण मुझे जालोर ही रुकना पडता। अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय के मौखिक आदेशो पर भीनमाल तहसील में बाढ भी वह अपने पटवार मुख्यालय पर नही जा पाया। मेरे द्वारा समय–समय पर प्रतिलिपी सम्बधित ग्रामवासी को जारी कर दी जाती थी जिसके हस्ताक्षर पी–35 पंजिका में लिये जाते थे।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि यह है कि तत्कालीन तहसीलदार श्री गुलाबसिंह जिनका मात्र 6 महिने का कार्यकाल था, उनके द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर शिकायतो को अमलीजामा स्वार्थवश तैयार करवाकर अपने अधिकारो का गलत इस्तेमाल किया। अपीलान्ट एक भूतपूर्व सैनिक है जिसने थलसेना में सेवा करते हुए जनता की सेवा करने का ही ज्ञान लिया है न उनके कार्यो को लम्बित करने का अथवा नही करने का। तत्कालीन भू0अ0निरीक्षक हेमन्त कुमार के द्वारा योजनापूर्वक अपने कार्य का मेरे विरुद्ध इस प्रकार से बेबुनियाद आरोपों का रुप दे दिया, केवल मात्र शिकायती पत्र को ही जांच रिपोर्ट में अक्षरशः लिखते हुए उसे सत्य साबित किया गया है जबकि अपीलान्ट को उक्त जांच कार्यवाही के दौरान एक बार भी नहीं पूछा गया और न ही शिकायतकर्ता के समक्ष रुबरु करवाया गया।

10. अपीलान्ट के द्वारा अपने पटवार क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों को बखुबी रोका है तथा अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। जांचकर्ता हेमन्त कुमार भू0अ0 निरीक्षक इससे पूर्व में इसी पटवार मण्डल दीगांव में कार्यरत था तथा उसके द्वारा ग्राम में हो रहे अतिक्रमणो को नही रोका गया तथा अब जब भू0अ0 निरीक्षक बन गये तो अतिक्रमियो को ही मेरे विरुद्ध भडकाकार शिकायते पेश करवाई गई। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं भू0अ0 निरीक्षक स्वयं हेमन्त कुमार के द्वारा पटवार क्षेत्र मे अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है जिनके विरुद्ध अपीलान्ट ने कार्यवाही करनी चाही तो उनके द्वारा मिथ्या शिकायतें ग्रामीणो से प्रस्तुत करवाई। श्री हेमन्त कुमार भू0अ0 निरीक्षक के विरुद्ध भी फर्जी रजिस्ट्री करवाने पर पुलिस थाना बागरा मे एफआईआर दर्ज होकर नोसरा थाना में भी जांच लम्बित है। ऐसे में अपीलान्ट के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच उस व्यक्ति से करवाई गई जो कि स्वयं एक भष्ट्राचारी व्यक्ति है तो उससे कैसे आशा की जा सकती है कि व दोषपूर्ण जांच कार्यवाही सम्पन्न करेगा। ऐसे मे उच्चाधिकरियों द्वारा किसी ईमानदारी व्यक्ति से शिकायत प्रार्थना की जांच करवाई जानी चाहिए थी।

11. अपीलान्ट पर आरोपित आरोप में वर्णित बिन्दु जो कि अपीलान्ट पटवारी के दैनिक कार्य निपटाने में देरी हो जाने से सम्बन्धित है जो सद्भाविक रुप से हर पटवारी से हो जाते है, क्योकि पटवारी के पास अन्य दायित्व भी निर्धारित होते है जिन्हें भी समय पर पूर्ण करना होता है और उच्चाधिकारियों के मौखिक दिशा–निर्देशो के अनुसार

भी बतलाये गये कार्यो को सम्पादन करना होता है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाना कि पटवारी से वरिष्ठ कार्मिक भू0अ0 निरीक्षक ने उक्त जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष मे आरोपो को प्रमाणित माना है एवं तहसीलदार जालोर ने भी आरोपों पर आरोपित आरोप का सिद्ध होना पाया है। इस बाबत अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त आधार अपनी अपनी अपील में उपर लिखित तथ्यो से दर्शा दिये है। ऐसे में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को दण्डित करने का जो आधार अंकित किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों व विधि के विपरीत है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मात्र सपोजिशन, सरमाईजेज के आधार पर अपीलाधीन प्रभाव से रोक दिये जाने पर उसे राजकीय सेवा में दोहरी हानि उठानी पडेगी तथा अपीलान्ट उसे पदौन्नति सम्बन्धी परिलाभो से भी वंचित होना पडेगा अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की राजकीय सेवा में बहुत अधिक भविष्यलक्ष्मी प्रभाव आ जायेगा और अपीलान्ट का सेवा रेकर्ड भी दूषित हो जायेगा।

12. अतः उपरोक्त अपील पेश कर श्रीमान से करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं जिला कलेक्टर महोदय जालोर के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश 14.11.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की असंचयी प्रभाव से रोकी गई एक वेतनवृद्धि को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

13. अपील के प्रत्युतर में विभागीय पैरोकार के द्वारा यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर ने अपीलान्ट कार्मिक के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत ही विभागीय कार्यवाही सम्पादित करते हुए आरोप अनुसार '' जीवनराम पूर्व पटवारी दीगांव की शिकायत होने की जॉच करवाई गई जिसमें पटवारी द्वारा काश्तकारों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने व दुर्व्यवहार करने तथा अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने से अतिक्रमण को बढावा देने की शिकायत सही पाई गई थी तथा जॉच में दोषी पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है जो यथावत बहाल रखी जावें।

14. हमने अपील, अपील पत्रावली, अधिनस्थ कार्यालय के द्वारा प्रेषित मूल पत्रावली, टिप्पणी इत्यादि का अवलोकन किया तथा पक्षकारान की ओर से की गई बहस पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट पटवारी पर आरोपित किये गये आरोप में पटवारी का पटवार हल्के में निवास न करना, राजस्व रिकार्ड की नकले, भूमि प्रमाण पत्र इत्यादि समय पर हस्ताक्षर करके उपलब्ध न करवाने, जनता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग व दुर्व्यवहार करने, अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने, रास्ते की पैमाइश नहीं करने इत्यादि का आरोप अंकित है। हमारे मत में अपीलान्ट पटवारी या अन्य कार्मिक का प्रथम दायित्व यही रहना चाहिये कि वह अपने व्यवहार में शालिनता रखे, संयमित व रेस्पेकटिड भाषा का इस्तेमाल करे। पदीय राजकीय कार्यो का समय पर निस्तारण करता रहे। उच्चाधिकारियों की ओर से दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालना करते हुए सौपे गये कार्यो का निस्तारण करें।

15. आरोप अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध ग्रामवासियों की ओर से प्रस्तुत हुई शिकायत के सम्बन्ध में जॉच करवाई जाने पर अपीलान्ट के कार्यो में अनियमितता पाई जाने, उनका मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने, दूसरे अतिरिक्त कार्यप्रभार वाले पटवार मण्डल में जाने की सूचना सूचना पटट पर अंकित नही करने, ग्रामीणों को अपने कार्यो हेतु अनावश्यक परेशान होने, राजकीय कार्यो का समय पर सम्पादन नहीं करने, धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं करने, ग्रामीणों से अभ्रद्र व्यवहार करने, संयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की जॉच किये जाने पर ग्रामीणों की ओर दर्ज करवाये गये बयानों, राजकीय अभिलेखों की जॉचकर्ता के द्वारा जॉच करने में कमियॉ/अनियमितता पाये जाने इत्यादि की पुष्टि होने पर होने पर ही अपीलान्ट को जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपीलाधीन आदेश से दण्डित किया गया है, अपीलान्ट ने अपील में एवं उसके सलंग्न ऐसे कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं कर पाये है जिससे उनके कथनों की सत्यता की पुष्टि होती हो।

16. अपीलान्ट के द्वारा अपने पर आरोपित आरोप के अनुसार अपने पूर्ववर्ती कार्मिक पर उनके द्वारा कार्य सम्पादित नहीं करने का आरोप लगाने का प्रयास किया गया है। जबकि होना तो यह चाहिये था कि अपीलान्ट अपने पटवारी पद के कार्यो को समयबद्धता से, निष्ठा से पूर्ण करते, साथ ही अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास

करते। इस प्रकार हम जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से सहमत है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

17. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2019 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक अक्टूबर, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 lfer 'kek½
fMohtuy dfe'uj
tk/ki|j